न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 95/2021
दावा अन्तर्गत :– धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीगण

1. गुमानसिंह पुत्र भूरसिंह
2. सांगसिंह पुत्र भूरसिंह
3. अर्जुनसिंह पुत्र भूरसिंह
4. भूरसिंह पुत्र मोतीसिंह
5. भवानीसिंह पुत्र भूरसिंह फौत के कायम मुकाम

5/1 प्रेमकंवर पत्नि भवानी सिंह
5/2 कुलदीपसिंह पुत्र भवानीसिंह
5/3 भोमसिंह भवानसिंह
जाति राजपूत निवासी भोजनगर
जैमला तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. अनोपसिंह पुत्र प्रेमसिंह
2. इन्द्रकंवर पुत्री प्रेमसिंह
3. पदमसिंह पुत्र अनोपसिंह
4. भगवतीकंवर पुत्री अनोपसिंह
5. सुजानकंवर पुत्री अनोपसिंह
   जाति राजपूत निवासी जैमला
   तहसील बाप जिला जोधपुर
6. श्रीमान तहसीलदार बाप

उपस्थित:–

1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण की और से
2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की और से

निर्णय

दिनांक:– 27.09.2022

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आश्य से पेश किया है कि प्रार्थीगण ने आज अप्रार्थीगण के विरूद्व एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का माननीय न्यायालय हाजा में पेश किया है। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्ट्या ही साबित है तथा उक्त वादगस्त खरीदशुदा भूमि पर प्रार्थीगण का खरीद अनुसार कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना सभंव नहीं ह। नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त [illegible] पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूरी–[illegible] संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त [illegible] 23.3099 हैक्टेयर (रकबा 144.00 बीघा) सरहद मौजा भोजनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील [illegible] जिला जोधपुर में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 25/96 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर बाप (जोधपुर)

अप्रार्थीगण संख्या 2 का 7/92 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थीग संख्या 4 का 7/192 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा अनुसार बंट में आता है और इसी अनुसार ही प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 काबिज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौके पर अपने–अपने कब्जा काश्त अनुसार आपसी सहमति का बंटवाड़ा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कर लिया है और इसी आपसी सहमति के बंटवाड़ा अनुसार प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 मौक पर कब्जा व काश्त है तथा प्रार्थीगण ने अपने अपने हिस्से में अपनी अलग अलग रहवासीय ढाणियां, पानी के टांके, पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे तथा खूंटे रोप कर तारबन्दी कर रखी है और मौके पर वर्तमान में रायड़ा, ईसब की काश्त भी संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर कर रखी है। प्रार्थीगण उक्त रहवासीय ढाणी में अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते आ रहे है। उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में शामलाती होने से प्रार्थीगण को वर्तमान में काश्त करने एवं अन्य विकास कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिये प्रार्थीगण ग्राम भोजनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 30 रकबा 23.3099 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाने एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खाते अलग करवाकर तरमीम करवाने के अधिकारी है। अप्रार्थीगण अपने उपरोक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 उपरोक्त अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराधात होगा, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही सम्भव है। प्रार्थीगण गरीब एंव असहाय व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 साधन संपन्न एंव प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका मुकाबला करने में प्रार्थीगण असमर्थ है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे की ग्राम भोजनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप जिला जोधपुर के खसरा नंबर 30 करबा 23.3099 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त की हिससे की भूमि व प्रार्थीगण द्वारा तैयार की गई भूमि में चले आ रहे प्रार्थीगण शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 इस [illegible] अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 राजस्व ग्राम भोजनगर पटवार क्षेत्र शेखासर के खसरा [illegible] 30 [illegible] 23.3099 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जा काश्त की [illegible] अंदाजी न तो स्वंय करे न ही किसी अन्य से करावे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। [illegible] संख्या 1 ता 5 की और से अधिवक्ता श्री करणीसिंह राठोड़ उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:57 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है–

प्रार्थीगण ने अदाल हाजा में एक दावा बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अवश्य पेश किया है लेकि न उक्त वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात एंव वाद में वर्णित तथ्यों से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या नहीं पाया जाता है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के मध्य वादग्रस्त भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार आपसी सहमति का बंटवाड़ा कभी नहीं हुआ और न ही प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त है अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 का अपने अपने हिस्से की भूमि में मौके पर स्थायी आवास, टांके व पशुओं के लिये बाडे इत्यादि बना रखे है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के मध्य बंटवाड़ा करवाकर राजस्व रेकर्ड में अलग खाते कायम करवाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादग्रस्त भूमि के बंटवाड़े को मान्यता प्रदान नहीं कर ग्राम भोजनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खसरा नंबर 30 रकबा 23. 3099 हैक्टेयर भूमि मे प्रार्थीगण का 25/96 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 7/192 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 7/192 हिस्सा, अप्रर्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा अनुसार वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा वास्तविक कब्जा व काश्त अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में करवाकर राजस्व रेकर्ड में अलग अलग खाते कायम कर तरमीम की जावे। प्रार्थीगण ने मनगंढत एवं गलत कथन किए है। प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं हो रहा है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ गलत नजरी नक्शा पेश किया है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्व एवं प्रार्थीगण के पक्ष में वादग्रस्त भूमि में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने कि कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश फरमावे।

बहस वकुलाय पक्षकारान् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दृष्टांत पेश किए जो निम्न प्रकार है–

1. 2004(1) RRT 590
2. 2010(1) RRT 221
3. 2013(2) RRT 1118

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:57 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना [illegible] की ओर से पेश उक्त दृष्टांतो का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीण संख्या 1 ता 5 अभिलिखित काश्तकार है और एक अभिलिखित काश्तकार अपने हिस्से की हद तक की भूमि के उपयोग उपभोग करने, हिस्से की हद तक विकय करने के लिये स्वतन्त्र है। वर्तमान में प्रार्थीगण/वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। जिसके निस्तारण के उपरान्त ही विशिष्ट भूमि का निर्धारण किया जा सकता है। यदि अप्रार्थीगण भूमि के विशिष्ट भाग पर बंटवाड़ा से पूर्व अधिकार दर्शाना चाहते है तो उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जा सकता है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जवाब प्रार्थना, जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण अभिलिखित सहकाश्तकार है, अगर हस्तगत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा हो सकती है व वाद बाहुल्यता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्राथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्राथीगर्ण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:57 IST
Reason: SelfAttested

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम भोजनगर पटवार क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खसरा नंबर 30 रकबा 23.3099 हैक्टेयर में अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक व हिस्सा तक दखलअंदाजी न करे व मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.9.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:57 IST
Reason: SelfAttested